



दिनांक 15.11.2024

प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल वीडियो अपलोड करने वाले युवक की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 14.11.2024 को जनपद शाहजहाँपुर के थाना कटरा क्षेत्र में रहने वाला एक 20 वर्षीय युवक द्वारा नींद की गोली का ओवरडोज़ खाकर आत्महत्या करने संबंधी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। उक्त वीडियो के संबंध में दिनांक 14.11.2024 को रात्रि समय 11.05 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में मुख्यालय सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा तत्काल युवक के लोकेशन की जानकारी STF कन्ट्रोलरूम से प्राप्त कर जनपद शाहजहाँपुर की मीडिया सेल को रात्रि 11.17 बजे सूचित किया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना कटरा के उ0नि0 द्वारा मात्र 15 मिनट के अन्तराल में युवक के घर जाकर जानकारी की गयी तो पीड़ित अस्वस्थ की स्थिति में था जिसे उ0नि0 द्वारा अविलम्ब प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी कटरा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सक एवं उ0नि0 द्वारा उसकी समस्या की जानकारी करते हुए काउंसलिंग की गई, जिस पर उक्त युवक द्वारा बताया गया कि घरवालों से कामकाज को लेकर डांट फटकार की वजह से भावावेश में आकर वह आत्महत्या करना चाह रहा था, इसलिए उसने नींद की गोली का ओवरडोज़ खा लिया था और दवा खाते समय का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। काउंसलिंग के उपरान्त युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया तथा परिजनों द्वारा उनके बेटे की जान बचाने हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 15.11.2024 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूरजपुर नहर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिरसागंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-कुलदीप निवासी कटमीरा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1-चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद प्रतापगढ़/थाना कोतवाली देहात

- 50 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 15.11.2024 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भुपियामऊ ब्रिज के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1-मो0साहिल 2-जांबाज 3-मोहरम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0साहिल के विरुद्ध जनपद अयोध्या, बस्ती कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त जांबाज के विरुद्ध जनपद सुल्तानपुर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-मो0साहिल निवासी सरह सुभागा फरीदीपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।
- 2-जांबाज निवासी भरतीपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।
- 3-मोहरम निवासी बाबागंज थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

- 1-लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार।
- 2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना तिर्वा

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 27 हजार 620 रूपये नगद
- लूट के सोने-चाँदी के आभूषण
- 04 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद

दिनांक 15.11.2024 को थाना तिर्वा व थाना गुरसहायगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुजान सराय अलीनगर अण्डरपास के पास से अभियुक्त साहिल उर्फ लव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 27 हजार 620 रूपये नगद, लूट के सोने-चाँदी के आभूषण, 04 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.11.2024 को थाना तिर्वा व गुरसहायगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिर्वा व गुरसहायगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तिर्वा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-साहिल उर्फ लव निवासी ग्राम बुद्धापुर्वा बलनपुर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1-लूट के 27 हजार 620 रूपये नगद।

2-लूट के सोने-चाँदी के आभूषण।

3-04 मोबाइल फोन।

4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5-01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद प्रतापगढ़/थाना संग्रामगढ़

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 61 हजार 100 रुपये नगद
- चोरी के 27 ग्राम सोना व 03 किलोग्राम अवैध चाँदी के आभूषण
- 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि बरामद

दिनांक 14.11.2024 को थाना संग्रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर के किनारे से 04 अभियुक्तों 1-राजकुमार 2-दिनेश 3-अजय 4-अनुज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 61 हजार 100 रुपये नगद, चोरी के 27 ग्राम सोना व 03 किलोग्राम अवैध चाँदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना संग्रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना संग्रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-राजकुमार निवासी तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2-दिनेश निवासी लालूपट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
- 3-अजय निवासी चौखड थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 4-अनुज निवासी खण्डवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

- 1-चोरी के 61 हजार 100 रुपये नगद।
- 2-चोरी के 27 ग्राम सोना व 03 किलोग्राम अवैध चाँदी के आभूषण।
- 3-02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना खागा

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 मोटर साइकिल
 - 1700/—रूपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 15.11.2024 को थाना खागा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम त्रिलोचनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—इस्तयाक 2—दिलशाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 1700/—रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खागा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खागा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—इस्तयाक निवासी ग्राम खैरई थाना खागा जनपद फतेहपुर।
- 2—दिलशाद निवासी ग्राम खैरई थाना खागा जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

- 1—01 मोटर साइकिल।
- 2—1700/—रूपये नगद।
- 3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

~ 7 ~
जनपद बरेली/थाना बहेड़ी

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 02 जीवित कारतूस
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 14.11.2024 की रात्रि थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंगोली पुल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1—बाबूराम 2—कुंवरसेन 3—गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—बाबूराम निवासी ग्राम सुकटिया याकूबगंज थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
- 2—कुंवरसेन निवासी ग्राम सिंगोथी थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
- 3—गुड्डू निवासी बझेडा थाना आँवला जनपद बरेली।

बरामदगी

- 1—05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2—02 जीवित कारतूस।
- 3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लगभग 50 लाख रुपये कीमत के 205 किलोग्राम अवैध गांजा
 - 01 कैंटर वाहन आदि बरामद

दिनांक 14.11.2024 को थाना करहल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैफई बाईपास के पास से 03 अभियुक्तों 1—राजा 2—अजीत कुमार

3-अनुज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 205 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 कैंटर वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजा के विरुद्ध जनपद कासगंज, एटा, मैनपुरी के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजा निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना सिड़पुरा जनपद कासगंज।

2-अजीत कुमार निवासी मितावली थाना एत्मादपुर कमिश्नरेट आगरा।

3-अनुज कुमार निवासी नगला किशन लाल टेढ़ी बगिया थाना एतमाउदौला कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1-लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 205 किलोग्राम अवैध गांजा।

2-01 कैंटर वाहन आदि।

➤ जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 85 लाख 86 हजार 08 सौ 32 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र मलिखान सिंह यादव निवासी नगला नदिया थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 85 लाख 86 हजार 08 सौ 32 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोनू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कौशाम्बी/थाना संदीपनघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना संदीपनघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 सपठित धारा 5 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अयोध्या उर्फ जोद्धा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
